न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3935—दो/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25—08—12 के द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 204/अ—12/2011——12.

.....

मोतीलाल पटेल तनय स्व0 चन्द्रभान पटेल
निवासी ग्राम सोनौरा तहसील हुजूर
जिला रीवा म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1.छत्रपाल पटेल तनय स्व0 चन्द्रभान पटेल
निवासी— ग्राम सोनौरा तह0 हुजूर
जिला—रीवा म0प्र0
2. शासन म.प्र. द्वारा जिलाध्यक्ष
जिला रीवा म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री शिवदास वर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री उमाकांत विश्वकर्मा, अभिभाषक,अनावेदक —1

.....

आदेश
(आज दिनांक 13/11/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—08—2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का सारंश इस प्रकार है कि नक्शा तरमीम का प्रार्थना पत्र न्यायालय तहसीलदार हुजूर जिला रीवा द्वारा दिनांक 25.8.12 को नक्शा तरमीम की जाकर आदेश पारित किया गया है इससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तक है कि राजस्व निरीक्षक गिर्द सरहददी कास्तकार छत्रपाल पटेल जो प्रार्थी का सगा भाई है के प्रभाव में आकर सीमांकन करने में आजकल करके टाल टूल कर रहें है तथा नाप करने करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे है प्रार्थी का संदेह है कि राजस्व निरीक्षक गिर्द निष्पक्ष नाप नहीं करेगें । आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि प्रार्थी दिनांक 07.05.2012 को माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया थ कि एस.एल.आर की अगुवाई में अन्य दो राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के एक जॉच दल के साथ नक्शा तरमीम व सीमांकन की कार्यवाही करवाई की जाय किन्तु न्यायालय द्वारा पटवारियो के दल के साथ पुनः राजस्व निरीक्षक गिर्द को नियुक्त कर दिया गया है जो सही नही है। पटवारियों के दल के साथ अन्य राजस्व निरीक्षक का नियुक्त किया जाना न्यायोचित होगा। अंत में निवेदन किया गया है कि दिनांक 25.8.12 का किया गया नक्शा तरमीम निरस्त किया जाकर आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर कहा गया है कि अनावेदक कमांक–1 द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजियातों का एक मात्र भूमि स्वामी है जिस पर उसका कब्जा दखल है तथा उपरोक्त आराजियों के नक्शा तरमीम हेतु तहसीलदार हुजूर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा सीमावर्ती कृषक को पक्षकार बनाया गया था। पक्षकारगण को सूचना पत्र जारी किया गया था तथा पटवारी प्रतिवेदन तथा राजस्व निरीक्षक के टीप के आधार पर विधि अनुसार नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गई है, जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक द्वारा अपने निगरानी आवेदन पत्र में व्यक्त किया है कि किसी भी न्यायालय से उपरोक्त आराजियातों के नक्शा तरमीम व किसी भी प्रकार की कार्यवाही किये जाने की रोक नहीं लगाई गई थी और न ही स्थगन ही प्राप्त था जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय ने जो नक्शा तरमी का आदेश पारित किया गया है वह विधि अनुकूल है। अंत में निवेदन किया गया है कि तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख एवं दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार के प्रकरण में पेज कमांक–7 पर स्थल पंचनामा संलग्न है उसमें मोतीलाल पटेल के हस्ताक्षर बने हुये है तथा इसी प्रकार तहसीलदार के प्रकरण में पेज कमांक–9 पर सूचंना पत्र संलग्न है उसमें भी मोतीलाल के हस्ताक्षर बने हुये है। पटवारी द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक 24.6.12 को दिया गया है उसमें भी उल्लेख किया गया है कि समस्त मेंढी कास्तकारों को सूचना दी गई तथा ग्राम के संभ्रात व्यक्तियों की उपस्थिति में नक्शा तरमीम की गई उनके द्वारा नजरी नक्शा फील्ड बुक में भी विस्तार से विवरण किया गया है इससे स्पष्ट होता है कि उनके आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 204 / अ–12 / 2011––12 में पारित आदेश दिनांक 25.8.12 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर